

# जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह।

## अति अल्पकालीन निविदा सूचना

मनरेगा आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक- (N) 480 (अनु0), राँची दिनांक 28.02.2018 एवं पत्रांक- (N) 1720 (अनु0), राँची दिनांक 18.06.2018 तथा (N) 1781 राँची दिनांक 23.06.2018 के आलोक में गिरिडीह जिला के सभी प्रखण्डों में मनरेगा अन्तर्गत बिरसा मुण्डा बागवानी योजना के क्रियान्वयन में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न सामग्री पौधा (प्रति पौधा), दवाई, कीटनाशक खाद आदि (प्रति लीटर /KG) के क्रय हेतु निम्न प्रकार अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

क्र0	सामग्री का नाम
1	आम पौधा (आम्रपाली/मल्लिका), इमारती पौधा- राज्य स्तरीय सूची बद्ध नर्सरियों के लिए
2	केंचुआ खाद, नीम/करंज खल्ली, Bone Meal /SSP, Dolomite or any other Suitable Fertilizer,
3	फफुन्नाशक (Mancozeb+Carbendazim, Copper Oxychloride or any Suitable Fungicide), Trichoderma sp
4	कीटनाशक दवा (Quinalphos/Chloropyriphos/Furadon 3G/Fernvalrate or Other Suitable insecticide)
5	दीमकनाशक दवा (Pyrethrum or equivalent)
6	रासायनिक खाद (NPK, युरिया, डी0ए0पी0, पोटस)
7	सूक्ष्म पोषक तत्व (Micro-nutrient- Multiplex/Totocare or equivalent )

इच्छुक निविदादाता /आपूर्तिकर्ता द्वारा सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 10.07.2018 के 1:00 बजे अपराह्न तक निविदा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह कार्यालय में जमा कर सकते हैं। प्राप्त निविदा दिनांक- 10.07.2018 को 3:00 बजे अपराह्न में क्रय समिति द्वारा निविदादाता/प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में खोला जायेगा।

नोट :- विस्तृत जानकारी, नियम एवं शर्तें [www.giridih.nic.in](http://www.giridih.nic.in) website पर एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गिरिडीह कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी देखा जा सकता है।

पौधा के लिये निम्न शर्तें लागू रहेंगी :-

1. पौधा आम्रपाली एवं मल्लिका प्रजाति का ही हो।
2. पौधों का कलम सिर्फ 'Veneer graft' पद्धति से तैयार होना चाहिए।
3. पौधों का लम्बाई 2'6" से अधिक व 5' के बीच हो।
4. पौधों में किसी प्रकार का रोग/बीमारी नहीं हो व उसमें कम से कम 2-3 स्वस्थ Flushes निकला हो।
5. पौधो का उम्र कम से कम 02 वर्ष हो।
6. पौधा में जहाँ कलम (Grafting) किया गया हो उसके ऊपर (Scion) व नीचे के तने (stock) की मोटाई समान हो।
7. Stock की लम्बाई 1-1.5 फीट हो।
8. पौधों के थैला काला Polythene का हो व थैला (Black polythene bag) का आकार 6"X7" से 9"X11" का होना चाहिए।

**अन्य शर्तें :-**

1. निविदा के साथ 5,000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त, गिरिडीह के पदनाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता अपना नाम, पूर्ण पता, व्यवसाय, पूर्व का कार्यानुभव, मोबाईल नम्बर, आदि का स्पष्ट उल्लेख अपने आवेदन-पत्र में करेंगे।
3. निविदादाता को अद्यतन आयकर रिटर्न GST निबंधन पत्र निविदा के साथ समर्पित करना अनिवार्य होगा।
4. निविदादाता को तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड अलग-अलग लिफाफा में समर्पित करना होगा।
5. गिरिडीह जिले के पंजीकृत ग्राम संगठन/ महिला/कृषक उत्पादक समूह/कृषक कोपरेटिवा/स्थानीय आपूर्तिकर्ता को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. सामग्री की आपूर्ति योजना स्थल पर करना होगा, जिसमें सभी प्रकार के कर एवं परिवहन शुल्क आदि की राशि सम्मिलित होगी।
7. केचुआ खाद के लिये नमूना की जाँच हेतु 1KG खाद लाना अनिवार्य होगा।
8. आपूर्ति आदेश निर्गत होने के सात दिनों के अन्दर कार्य स्थल पर सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
9. आपूर्तिकर्ता को इस आशय का शपथ-पत्र समर्पित करना होगा कि :-
  - (क) सामग्री की आपूर्ति योजना स्थल पर मेरे द्वारा की जायेगी। आपूर्ति की जाने वाली सामग्री नकली/एक्सपायरी तथा किसी प्रकार की गुणवत्ता को लेकर अनियमितता पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई के हकदार होंगे।
  - (ख) निविदा के माध्यम से स्वीकृत दर पर ही आपूर्ति की गई सामग्री का अभिश्रव कार्यकारी एजेन्सी को दिया जायेगा। उससे अधिक राशि का अभिश्रव समर्पित किए जाने पर कार्रवाई के हकदार होंगे।
  - (ग) निविदादाता को किसी सरकारी विभाग या प्रतिष्ठान द्वारा काली सूची में डाला गया हो एवं किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा किसी आपराधिक मामले में दोषी करार दिया गया हो तो ऐसा पाये जाने पर कानूनी कार्रवाई के हकदार होंगे।
10. निविदा की शर्तों में परिवर्तन एवं उसे बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

६०/-

उप विकास आयुक्त-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
गिरिडीह।

ज्ञापांक.....1554...../अभि0, गिरिडीह दिनांक.....28/06/18  
प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि  
www.giridih.nic.in website पर Upload करना सुनिश्चित करें।  
प्रतिलिपि:- उपायुक्त, गिरिडीह को सूचनार्थ समर्पित।

३४६

उप विकास आयुक्त-सह-  
जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
गिरिडीह।